

(कोई अन्य सूचना)

शुल्क का भुगतान

सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत के विनियम) नियम 2005 के अनुसार उचित रसीद के विरुद्ध दस रुपए के नकद अथवा नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) को देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के आवेदन शुल्क द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है ।

धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए नकद रूप में उचित रसीद के विरुद्ध अथवा नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) को देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जा सकता है ।

- (क) प्रत्येक पृष्ठ या कॉपी (ए4 अथवा ए3 आकार की) के लिए 2 रुपए प्रति पृष्ठ;
- (ख) बड़े आकार का कागज होने पर वास्तविक प्रभार अथवा प्रति की लागत का मूल्य ।
- (ग) सेम्पल अथवा मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा मूल्य ; एवं
- (घ) रिकार्डों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे कोई शुल्क नहीं, उसके पश्चात् प्रत्येक पंद्रह मिनटों के लिए पांच रुपए शुल्क ।

धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए नकद जमा की गई राशि की उचित रसीद के साथ अथवा नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) को देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जा सकता है :

- (क) डिस्क अथवा फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रुपए प्रति डिस्क अथवा फ्लॉपी एवं
- (ख) मुद्रित रूप में सूचना उपलब्ध कराने पर प्रकाशन का निर्धारित मूल्य या उस प्रकाशन में से फोटोकॉपी की गई प्रत्येक प्रति के लिए दो रुपए ।